

जी० आई० एस० फार्म संख्या-31 (संशोधित)
सेवा में,

(यह प्रपत्र तीन प्रतियों में प्रेषित करना है)

बीमा निदेशालय कोषागार
के प्रयोगार्थ
दावा संख्या.....

महोदय,

मैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लागू सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत सेवा निवृत्त/सेवा से अन्वयता पृथक्/मृत अधिकारी/कर्मचारी का दावा निम्न प्रकार से प्रस्तुत करता हूँ:-

1. (अ) अधिकारी/कर्मचारी का नाम : 1. (हिन्दी में) : श्री सार्वानन्द मिश्र
2. (अंग्रेजी में) : SR. SARVANAND MISHRA
(कैपिटल लेटर में)

(ब) पोस्टाल से० या दूरभाष से० एस० टी० डी० कोड सहित : 9838316714

(स) पिता/पति का नाम : श्री रामदेव मिश्र

2. (अ) पद का नाम : लेखाकार

(ब) राजपत्रित/अराजपत्रित : अराजपत्रित

(स) राजपत्रित की स्थिति में : 4

(1) समूह 'ख' के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति का दिनांक

(2) समूह 'क' के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति का दिनांक

3. (क) जी० पी० एफ० संख्या (यदि हो) : A.G.U./43721

(ख) एन० पी० एस० खाता संख्या (यदि हो) : 4

(ग) जी० पी० एफ०/एन० पी० एस० के अभाव में (NEW) अंकित किया जाय :

4. (अ) योजना से पृथक् होने के समय का वेतन बैंड : 9300-34800

(ब) योजना से पृथक् होने के समय का ग्रेड पे : 4800 लेवल - 08

(स) यदि ग्रेड पे रु० 6600 प्राप्त हुआ हो तो उसका दिनांक :

(द) समूह 'ख' के वेतनमान में आने का दिनांक :

(ध) समूह 'क' के वेतनमान में आने का दिनांक :

5. (क) विभाग : ग्राम्य विकास विभाग

(ख) विभागाध्यक्ष : उपमुख्य ग्राम्य विकास ड० प्र०

6. जन्मतिथि :

(अ) अंकों में : 07-06-1962

(ब) शब्दों में : सात जून उन्नीस सौ बालह

7. (अ) सेवा में नियुक्ति का दिनांक : 08-09-1983

(ब) योजना में प्रवेश का दिनांक : 08-09-1983

8. (अ) रु० 05 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि : से तक

(ब) रु० 10 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि : से तक

(स) रु० 15 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि : से तक

(त) रु० 20 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि : 08-09-1983 से 28-02-1990 तक

(ध) रु० 30 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि : 01-03-1990 से 28-02-2002 तक

(द) रु० 40 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि : से तक

(ध) रु० 60 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि : 01-03-2002 से 30-11-2008 तक

(न) रु० 80 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि : से तक

(प) रु० 120 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि : से तक

9. 01 दिसम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार

(अ) ग्रेड पे 2800 तक रुपये 100 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि : से तक

(ब) ग्रेड पे 2801 से 5400 तक रुपये 200 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि : 1-12-2008 से 30-06-2022 तक

(स) ग्रेड पे 5400 से अधिक रुपये 400 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि : से तक

10. सेवानिवृत्त/सेवा से अन्वयता पृथक् होने की तिथि : 30-06-2022
(यदि लागू न हो तो 'X' करें)